

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)

श्री कालू भील

बनाम

श्री नारायण ढोली वगै०

धारा 111-128 एल0आर0ए

मुकदमा 18/2022

Online No. 2022/44

10.01.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो नम्बर से कम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
~~उपखण्ड अधिकारी~~
भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर-18/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्री कालू भील आत्मज स्व काना भील निवासी रीछड़ा हाल लाडपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
2. श्री प्रकाश भील आत्मज स्व काना भील निवासी रीछड़ा हाल लाडपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
3. श्रीमती गंगा भील पत्नी स्व काना भील निवासी रीछड़ा हाल लाडपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
4. श्रीमती रामकन्या भील पुत्री स्व काना भील निवासी रीछड़ा हाल लाडपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

-प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री नारायण आत्मज श्री किशोर ढोली निवासी सिदडीयास तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. श्री रमेश बलाई आत्मज नाम नामालुम बलाई निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. श्री उदा गर्जुर आत्मज श्री काशी गुर्जर निवासी भडाणी खेड़ा(रीछड़ा) तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. श्री किशन सुवालका आत्मज श्री छोगा सुवालका निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
5. श्री भोलू गर्जुर आत्मज रायमल गुर्जर निवासी भडाणी खेड़ा (रीछड़ा) तहसील व जिला भीलवाड़ा
6. श्री लादू गर्जुर आत्मज श्री नारायण गुर्जर निवासी भडाणी खेड़ा(रीछड़ा) तहसील व जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 10.01.2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रीछड़ा प0ह0 रीछड़ा भू0अ0नि0 महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी संख्या 988 रकबा 1.1507 हैक्टर आराजी संख्या 990 रकबा 0.6702 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 1.8209 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2073 ग्राम रीछड़ा प0ह0 रीछड़ा भू0अ0नि0 महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी संख्या 988 रकबा 1.1507 हैक्टर आराजी संख्या 990 रकबा 0.6702 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 1.8209 हैक्टर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर खातेदार है। प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते हैं तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएव


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम रीछडा प0ह0 रीछडा भू0अ0नि0 महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी संख्या 988 रकबा 1.1507 हैक्टर आराजी संख्या 990 रकबा 0.6702 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 1.8209 हैक्टर भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 400/- रुपये तहसीलदार भीलवाड़ा के यहाँ संबंधित मद में प्रार्थीगण जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक महुआकलां 500/-रुपये (पांच सौ रुपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में कमिश्नर प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 महुआकलां जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावे।

(ओम प्रभा)

**उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा**

निर्णय आज दिनांक 10.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

गया।

**उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा**